स्कूल की अव्यवस्थाओं से खफा छात्रों ने लगाया जाम

लखनऊ : सर्वोदय विद्यालय का मामला, मंत्री भी फंसे, शिक्षकों की कमी से नाराज थे छात्र

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। नई दिल्ली में जंतर मंतर पर हुए जेन जी के आंदोलन का असर स्कूल के छात्रों पर भी दिख रहा है। राजधानी के पारा क्षेत्र स्थित मोहान रोड पर शुक्रवार को अव्यवस्थाओं से परेशान सर्वोदय विद्यालय के छात्र सड़क पर उतर आए। शिक्षकों की कमी समेत अन्य कई परेशानियों से नाराज छात्रों ने आगरा एक्सप्रेसवे की लिंक रोड पर करीब 12.20 बजे चक्का जाम कर दिया।

जाम लगाए छात्रों से बातचीत करते मंत्री असीम अरुण। अमर उजाला

इसी दौरान वहां से गुजर रहे समाज कल्याण विभाग के राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण भी जाम में फंस गए। बात समझ में आते ही मंत्री अपनी गाड़ी से नीचे उतरकर छात्रों के बीच पहुंचे और उनसे बातचीत की। मंत्री के समझाने के बाद छात्र शांत हुए। छात्रों को साथ लेकर राज्यमंत्री विद्यालय पहुंचे।

विद्यालय के ऑडिटोरियम में मंत्री और प्रधानाचार्य विनोद कुमार की मौजूदगी में छात्रों ने बताया कि शिक्षकों की कमी के चलते मुख्य विषयों के साथ-साथ मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत नीट और जेईई की तैयारी नहीं हो पाती है। विज्ञान विषयों की पढ़ाई नहीं हो रही है। खेलकूद के सामान की कमी, खराब बिजली व्यवस्था के साथ लाइब्रेरी का उपयोग भी नहीं हो रहा है।

मंत्री ने कहा कि अपनी रखना अच्छी बात है लेकिन सड़क जाम कर विरोध करना सही नहीं। मंत्री ने छात्रों को समझाते हुए कहा कि मैं तो कन्नौज जा रहा था लेकिन जब पता चला कि आपने जाम लगाया है तो मिलने चला आया। मंत्री ने छात्रों से यह भी कहा कि आप लोगों ने मेरी बात मानी और परिसर में वापस आ गए, यह सराहनीय है।

आगरा एक्सप्रेसवे से महज एक किलोमीटर की दूरी पर हुए इस प्रदर्शन की सूचना मिलते ही पारा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस और प्रशासन की टीम को यातायात सुचारू कराने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। छात्रों के सड़क पर आने के करीब एक घंटे बाद दोपहर 1:20 बजे मार्ग को पूरी तरह खाली कराया जा सका।

कोर्ट में लंबित है मामला

शिक्षकों की कमी पर मंत्री ने स्पष्ट किया कि लखनऊ में विभाग की ओर से दो सर्वोदय विद्यालय संचालित हैं। पिछले वर्ष शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए अतिथि वक्ताओं की व्यवस्था की गई थी। हालांकि मामला हाईकोर्ट में चले जाने के कारण इस पर रोक लग गई। इस केस में 17 अगस्त को सुनवाई की तारीख तय है। उन्होंने आश्वासन दिया कि कानूनी बाधाएं दूर कर जल्द ही शिक्षकों की तैनाती की जाएगी।

जालौन : संस्कृत विद्यालय में बीमारी से छात्र की मौत

आटा (जालौन)। गुरु इटौरा में स्थित श्रीकृष्ण संस्कृत विद्यालय छात्रावास के दो छात्रों की तबीयत बिगड़ने और एक के दम तोड़ने का मामला सामने आया है। शुक्रवार शाम डीएम राजेश कुमार पांडेय व एसपी विनय कुमार सिंह ने विद्यालय पहुंचकर निरीक्षण किया। बीमार छात्र की भी हालत गंभीर है और वह मेडिकल कॉलेज के आईसीयू में भर्ती है। स्वास्थ्य विभाग की टीम अन्य छात्रों की जांच कर रही है। कालपी कोतवाली क्षेत्र के मंगरौल निवासी सक्षम द्विवेदी (12) संस्कृत विद्यालय इटौरा में का सातवीं का छात्र था। वह विद्यालय के छात्रावास में रहता है। बुधवार की सुबह उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। छात्र के पिता रविकांत 12 अगस्त को वे छात्र को कानपुर ले जा रहे थे तभी भौंती के पास उसकी मौत हो गई थी। सीएमओ डॉ. एचएन प्रसाद ने बताया कि छात्र को शुरुआती जांच में संक्रमण जैसी बीमारी नहीं थीं। आशंका है कि किसी कीड़े ने काटा हो। संवाद

प्रदेश के तराई क्षेत्रों में दो दिन भारी बारिश की संभावना

लखनऊ। उत्तरी पश्चिमी बंगाल की खाड़ी पर बने अवदाब के कारण आज मध्य प्रदेश से सटे निचले हिस्सों, तराई क्षेत्रों में झमाझम बारिश की संभावना है। इसके साथ ही मानसूनी द्रोणी के मुजफ्फरनगर, फतेहगढ़ से होते हुए पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी की ओर स्थानांतरित होने से मानसूनी सक्रीयता बढ़ने के कारण आने वाले दो दिनों में केंद्रीय और तराई क्षेत्रों में भारी बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। संवाद

मेजर आदित्य को मिला दूसरी बार शौर्य चक्र

उपलब्धि से गौरवान्वित हुआ पैतृक गांव पनई

मेजर आदित्य प्रताप सिंह।

उन्नाव। तहसील बीघापुर क्षेत्र के गांव पनई बुजुर्ग निवासी मेजर आदित्य प्रताप सिंह को अदम्य साहस और वीरता के लिए राष्ट्रपति ने दूसरी बार शौर्य चक्र से सम्मानित करने की घोषणा की है। उनकी मां विमला सिंह ने फोन पर बातचीत में इसकी पुष्टि की है।

असम राइफल्स में तैनात मेजर आदित्य प्रताप सिंह ने भूटान में आतंकवादियों के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन में अदम्य साहस और सूझबूझ का परिचय देते हुए सफलता हासिल की। उनके इसी वीरतापूर्ण योगदान को देखते हुए सेना ने उन्हें दूसरी बार शौर्य चक्र से सम्मानित करने का निर्णय लिया है।

मेजर आदित्य प्रताप सिंह का परिवार वर्तमान में लखनऊ में रहता है। वहीं, पनई बुजुर्ग गांव में उनके चचेरे भाई रनवीर सिंह, जिम्मी, पप्पू सिंह, प्रसून और तेज प्रताप सिंह रहते हैं।

मेजर के दूसरी बार शौर्य चक्र के लिए चयन की जानकारी मिलते ही गांव में खुशी का माहौल है। ग्रामीणों और परिजनों ने पूरे क्षेत्र के लिए गौरव का क्षण बताया है। मेजर आदित्य प्रताप सिंह को दूसरी बार सम्मान मिलने से उनके परिवार और गांव के लोगों में खुशी है। संवाद

हापुड़ की शेरपुर मस्जिद से दो संदिग्ध युवक पकड़े

बहादुरगढ़ (हापुड़)। थाना क्षेत्र के शेरपुर में शुक्रवार सुबह मेरठ एटीएस की टीम ने कार्रवाई की। टीम ने कुरैशीयान मस्जिद के पास से दो संदिग्ध युवकों को दबोच लिया। उनकी पहचान नहीं हो सकी है। स्थानीय पुलिस के अनुसार उन्हें कार्रवाई की जानकारी नहीं है।

सुबह करीब आठ बजे दो युवक काले रंग की बाइक से मस्जिद के पास पहुंचे थे। एक मस्जिद के गेट तक पहुंचा, जबकि दूसरा बाइक का लॉक लगा रहा था। तभी पीछे से पहुंची एटीएस ने दोनों को पकड़ लिया और साथ ले गई। लोगों के मुताबिक, दोनों की उम्र 25 वर्ष है। दाढ़ी रखी थी और टोपी पहने थे। कुरैशीयान मस्जिद में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हैं, जबकि गांव की अन्य मस्जिदें कैमरों से लैस हैं। इससे घटनाक्रम का कोई स्थानीय रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है।

कुरैशीयान मस्जिद में करीब दो माह पहले मोहम्मद आमिर इमाम के रूप में आए हैं। वह मुंडाली, मेरठ के निवासी हैं। इमाम ने बताया कि जिन लोगों ने युवकों को देखा था, वे उन्हें पहचान नहीं पाए। युवकों को इससे पहले कभी मस्जिद में नहीं देखा गया था। उनका मस्जिद में आने का उद्देश्य या उनकी पहचान के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। युवकों की बाइक मेरठ के सरधना के मोहल्ला धर्मपुरा के कादर अब्दुल के नाम पंजीकृत है। संवाद

चिता में आग लगाने की थी तैयारी तभी शरीर में हुई हलचल

बभनी (सोनभद्र)। थाना क्षेत्र के कोंगा गांव में श्मशान घाट पर बृहस्पतिवार को अंतिम संस्कार के दौरान 35 वर्षीय महिला के शरीर में परिजनों और ग्रामीणों ने हलचल महसूस की। इसके बाद अंतिम संस्कार रोक दिया गया। एंबुलेंस समय पर नहीं पहुंचने पर परिजन महिला को ट्रैक्टर-ट्रॉली से घर ले गए। देर रात दुद्धी अस्पताल ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई। शुक्रवार सुबह परिजनों ने अंतिम संस्कार किया।

कोंगा गांव निवासी पूर्व ग्राम प्रधान कृष्णानंद की पत्नी दुर्गावती पिछले कुछ दिनों से बीमार थीं। कृष्णानंद के अनुसार, जांच में उन्हें पीलिया और लीवर में सूजन की बात सामने आई थी। बुधवार को इलाज के लिए मध्यप्रदेश ले जाते समय रास्ते में दुर्गावती की मौत हो गई। बृहस्पतिवार को शव को पागन नदी के किनारे श्मशान घाट ले गए। वहां अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी। तभी शरीर में हलचल हुई। अंतिम संस्कार रोक कर एंबुलेंस बुलाने का प्रयास किया, लेकिन काफी देर तक एंबुलेंस नहीं पहुंची थी। संवाद

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, इटावा

पत्रांक : के०जी०बी०वी०/ प्रेस विज्ञप्ति / 6101-102/2026-27 दिनांक:- 14/08/2026

विज्ञप्ति

महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक के पत्र संख्या-के०जी०बी०वी०/स्पिल ओवर/8995/2025-26 दिनांक-19.02.2026 के द्वारा जनपद इटावा के दौंग ऊसराहार ताखा को नवनिर्मित कक्षा 09 से 12 तक के उच्चीकृत कस्तूरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालय के छात्रावास के नवीन फर्नीचर एव फर्नीचर इक्युपमेन्ट जैम पोर्टल से निविदा के आधार पर क्रय किये जाने के आदेश प्राप्त हुये है। इस हेतु जेम पोर्टल की निविदा संख्या-GEM/2026/B/7911210 Dated: 12.08.2026 अपलोड की गयी है। बिड से सम्बन्धित नियम व शर्ते https://gem.gov.in/ पर उपलब्ध है। इच्छुक फर्म दिनांक-12.08.2026 से दिनांक-22.08.2026 सांय 09:30 बजे तक ऑनलाइन जैम पोर्टल पर डाउनलोड व अपलोड कर सकते है।

(महेन्द्र कुमार) जिला समन्वयक (बा०शि०) समग्र शिक्षा, इटावा।

डा० (राजेश कुमार) जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी इटावा।

SANJAY GANDHI POST GRADUATE INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES

RAEBARELI ROAD, LUCKNOW-226014 (U.P.), INDIA
PHONES: 2668004-8,2668700,2668800,2668900, FAX: 91-522-2668973, 2668734(JDMM) Extn:5185, 4038 E-mail Id- jdmmsgpgims@gmail.com

PRE-BID NOTICE

A pre-bid meeting is being organized for Supply/Installation/ Testing/ Commissioning of New Pneumatic Tube System (PTS) for EMRTC/ADC/New Diagnostic Block/134-bedded ward area of the SGPGIMS, Lucknow with its integration with existing Pneumatic Tube System (PTS) under turnkey project. Interested bidders are invited to attend the meeting as per schedule mentioned below:

Date: 25.08.2026 Time: 03.30 PM
Venue: Tele-Medicine Auditorium, SGPGIMS, Lucknow.

- Details and technical guidelines for above system are available on Institute's website www.sgpgims.org.in.
- Interested bidders may also contact Mr. Yogendra Kumar, Nodal Officer (PTS) Mobile no 8004968672 for any query/visit.

ADVT. No.:I/40/JDMM/PTS/2026-27 Dated: 14.08.2026 Director

स्वच्छ गंगाघाट | सुन्दर गंगाघाट

कार्यालय नगर पालिका परिषद गंगाघाट उन्नाव

पत्रांक:-मेमो/ न०पा०प०गंगाघाट / 2026-27 दिनांक: 14.08.2026

नगर गंगाघाट को बनाये नं0-1 "नागरिकों से अपील"

1. पालीथीन की बिक्री व उपयोग पूर्णतः प्रतिबन्धित है। निरीक्षण के दौरान प्रतिबन्धित पालीथीन की बिक्री व उपयोग पाये जाने पर सामग्री जब्त करते हुये जुर्माना भी हो सकता है। किसी भी प्रकार के प्लास्टिक / थर्माकोल के बैग गिलास, कप, प्लेट थाली आदि का प्रयोग स्वास्थ्य एवं पर्यावरण की दृष्टि से हानिकारक है, इसलिये इसका उपयोग कदापि न करें।
2. प्लास्टिक / थर्माकोल के बैग, गिलास, कप, प्लेट, थाली आदि के स्थान पर कपड़े कागज आदि द्वारा निर्मित उत्पाद का प्रयोग, मानवहित, स्वास्थ्य व पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कोई भी दुकानदार, थोक विक्रेता, ठेला वालों, फेरी वालों, फल वालों, सब्जी वालों सहित अन्य जनमानस द्वारा प्लास्टिक / थर्माकोल के बैग, गिलास, कप, प्लेट, थाली आदि का प्रयोग / क्रय / विक्रय करते हुए पाया जाता है तो वह ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन की नीति के क्रम में नगर पालिका उपविधि के अन्तर्गत पेनाल्टी / जुर्माना शुल्क वसूल किया जायेगा।
3. नगर पालिका सीमान्तर्गत भवन निर्माण सामग्री (निष्प्रयोज्य सामग्री) को खुली जगहों (खाली प्लॉट एवं सड़क किनारे) पर फेंकने पर एस०डब्लूएम० नियम 2016 तथा नगर पालिका उपविधि के अनुसार प्रथम बार उल्लंघन करने पर रु0 500/- तथा पुनरावृत्ति पाये जाने पर रु० 1000/- प्रति प्रकरण जुर्माना हो सकता है। कोई भी व्यक्ति सी० एण्ड डी० वेस्ट से सम्बन्धित सूचना स्वच्छ भारत मिशन प्रभारी के मो० नं0 8382035276 पर देकर सी०एण्ड डी० वेस्ट से सम्बन्धित सेवायें नियमानुसार पालिका से प्राप्त कर सकता है। सार्वजनिक मार्ग / नाली पर मलबा डालने पर उपरोक्तानुसार जुर्माना वसूल किया जायेगा।

समस्त सदस्यगण न०पा०प० गंगाघाट, उन्नाव | अधिशासी अधिकारी न०पा०प० गंगाघाट, उन्नाव | कौमुदी पाण्डेय अध्यक्ष न०पा०प० गंगाघाट, उन्नाव

उत्तर प्रदेश पर्यटन

UPSTDC
पर्यटन भवन, सी-13, विपिन खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ -226010
फोन: 0522-2308916, ई-मेल: upstdc.gm@gmail.com, www.upstdc.co.in

पत्र सं. : 10094/परि.-5/निविदा सूचना/2026-27 दिनांक: 14.08.2026

ई-निविदा सूचना

उ.प्र. राज्य पर्यटन विकास निगम लि. लखनऊ द्वारा प्रतिशत दर पर उ.प्र. राज्य पर्यटन विकास निगम लि. में सूचीबद्ध (क्लास ए/बी/सी/डी) अर्ह ठेकेदारों से ई-टेन्डर पोर्टल पर एकल बिड सिस्टम के अन्तर्गत निविदायें आमंत्रित की जाती है। निविदा दाता को सलाह दी जाती है कि निविदा डालने से पूर्व अर्हता के सम्बंध में नियम/शर्तों से अवगत हो लें। कार्य की मात्रा में विचलन संभावित है।

क्र. सं.	कार्यकारी यूनिट का नाम	कार्य का नाम	निविदा की लागत (लाख रु. में)	धरोहर धनराशि (लाख रु. में)	निविदा की वैधता	कार्य पूर्ण करने की अवधि	वांछित ठेकेदारों की श्रेणी	निविदा प्रपत्र का मूल्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	महाप्रबन्धक (तक.), उ.प्र. राज्य पर्यटन विकास निगम लि. लखनऊ	जनपद हरदोई के वि.ख. भरखनी में रामताल मंदिर अमिरता का पर्यटन विकास कार्य।	64.18	5.21	90 दिन	6 माह	सिविल कार्यों हेतु सूचीबद्ध श्रेणी ए,बी,सी,डी	स्टेशनरी चार्जेस: 5000 G.S.T. : 900 कुल योग रू. 5900
2	महाप्रबन्धक (तक.), उ.प्र. राज्य पर्यटन विकास निगम लि. लखनऊ	जनपद रायबरेली के तहसील लालगंज वि.स. सरेनी में तलारकुटी बाजपेईपुर में गेगासो मां गंगा तट पर पर्यटन विकास कार्य।	21.51	2.15	90 दिन	4 माह	सिविल कार्यों हेतु सूचीबद्ध श्रेणी ए,बी,सी,डी	स्टेशनरी चार्जेस: 2000 G.S.T. : 360 कुल योग रू. 2360

ई-निविदा पोर्टल से निविदायें दिनांक **14.08.2026** से डाउनलोड की जा सकती है एवं दिनांक **21.08.2026** की दोपहर **12:30 बजे** तक अपलोड किये जा सकते हैं। उक्त कार्य की निविदा की तकनीकी बिड दिनांक **21.08.2026** को अपरान्ह **3:30 बजे** आनलाइन खोली जायेगी एवं अर्ह पाये गये निविदादाताओं की वित्तीय बिड तद्रोपरान्त पूर्व सूचना के अनुसार खोली जाएगी। निविदा सम्बन्धी सभी शर्ते आदि **https://etender.up.nic.in** पर देखी जा सकती है।

प्रबन्ध निदेशक

कार्यालय परियोजना निदेशक

पी०एम०यू०, बी०आई०आई०यू०, ए०डी०बी०, लोक निर्माण विभाग, देहरादून
प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष कार्यालय परिसर, लोक निर्माण विभाग, देहरादून, कमरा नं० 16, यमुना कॉलोनी, देहरादून, पिन कोड- 248001
EMAIL- pdpmuadb.pwduk@gov.in

पत्रांक : 576/02 प्रो०एम०यू० /2026 दिनांक 14 /08/2026

REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST (EOI) for deployment of the Construction Supervision Consultancy Services (CSC) for ADB ASSISTED – BRIDGE IMPROVEMENT IN UTTRAKHAND (BIIU) PROJECT, UTTARAKHAND on ADB's Portal CMS

उत्तराखंड सरकार, लोक निर्माण विभाग (PWD), उत्तराखंड के माध्यम से ADB वित्त पोषित "Bridge Improvement in Uttarakhand" परियोजना कार्यान्वित कर रही है। परियोजना के अंतर्गत 05 वर्षों के लिए bridge एवं landslide treatment कार्यों के supervision and contract management हेतु Construction Supervision Consultancy (CSC) की सेवाएं लिये जाने हेतु अनुभवी और योग्य कन्सल्टिंग फर्मों को नियुक्त करने का उद्देश्य है। तदनुसार, पात्र कन्सल्टिंग फर्मों को निम्नलिखित चार पैकेजों के लिए Expression of Interest (EOI) प्रस्तुत करने के लिए Asian Development Bank's Consultant Management System (ADB CMS) के माध्यम से आमंत्रित किया जाता है। EOI CMS Portal पर दिनांक 18.08.2026 से उपलब्ध रहेगा।

S. No	Packages of Construction Supervision Consultants (CSC)	Districts Involved	Nos. of PIU involved	Total Bridge Works	Total Landslide Treatment Works
1	2	3	4	5	6
1	CSC-1	Almora & Bageshwar	5	70	-
2	CSC-2	Nainital, Champawat & U.S. Nagar	7	42	4
3	CSC-3	Tehri & Dehradun	8	55	4
4	CSC-4	Pauri & Rudraprayag	7	68	-

परियोजना निदेशक,पी०एम०यू०, BIIU, ए०डी०बी०, लो०नि०वि० देहरादून

नगर निगम चंडीगढ़

ई - निविदा सूचना

क्र. सं.	कार्य का नाम	बोली प्रस्तुतिकरण अनुसूची (ऑनलाईन)	तकनीकी बोली खोलना (ऑनलाईन)
	अधिशासी अभियंता - एसडब्ल्यूएम मंडल		
1.	सेक्टर 25 डब्ल्यु, चंडीगढ़ पर डॉग पॉउड का निर्माण (पुनः आमंत्रित) अनुमानित लागत : 1737.75 लाख रु. धरोहर राशि : 34,75,520/- रु. समय सीमा : 07 माह निविदा शुल्क : 5,000/- रु.	14.08.2026 को अप. 4:00 बजे से 28.08.2026 को अप. 01:00 बजे	28.08.2026 को अप. 01:30 बजे

नोट: 1) विस्तृत शर्तों व नियमों के साथ निविदा सूचना को वेबसाईट www.chandigarh.gov.in or etenders.chd.nic.in पर उपलब्ध/अपलोड किया गया है।

अधिशासी अभियंता

एसडब्ल्यूएम मंडल कमरा नं. 612, छठा तल, न्यू डीलक्स बिल्डिंग, एमसी सेक्टर-17 चंडीगढ़ ई-मेल आईडी : mcc.swm2020@gmail.com

---

ई–नीलामी विक्रय सूचना

सरफेसी अधिनियम 2002 के अंतर्गत

बैंक ऑफ़ इंडिया रिश्तों की जमा पूंजी

आंचलिक कार्यालय
128/24 ओम लक्ष्मी टॉवर, एच ब्लाक, किदवई नगर, कानपुर–208011, दूरभाष : 0512–2985004

प्रतिभूति हित (प्रर्वतन) नियम, 2002 के नियम 6(2) एवं 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूति करण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रर्वतन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई–नीलामी विक्रय सूचना आम लोगों को तथा विशेष रूप से ऋणी (यो), जमानतकर्ता (ओं) को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जो बैंक के ऑफ इण्डिया के पास गिरवी/प्रभारित है, का भौतिक/सांकेतिक कब्जा बैंक ऑफ इण्डिया के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को **"जहां है, जैसी है एवं जो कुछ भी है"** के आधार पर नियम 13(2) के अन्तर्गत मांग सूचना वर्णित बकाया राशि एवं उस पर ब्याज, खर्च एवं व्ययों की वसूली हेतु विक्रय की जायेगी। सम्पत्ति का विवरण नीचे दिया गया है, आरक्षित मूल्य एवं धरोहर धनराशि सभी सम्पत्तियों के आगे अंकित है।

क्र. सं.	ऋणी /जमानतदार का नाम, मांग नोटिस दिनांक व राशि एवं कब्जा दिनांक/कब्जे का प्रकार	बंधक रखी सम्पत्ति का विवरण एवं सम्पत्ति के बंधककर्ता का नाम/ऋणी	आरक्षित मूल्य (लाख में) / धरोहर राशि (लाख में) / बोली वृद्धि राशि
	उन्नाव शाखा, 472/1, के.के. टावर, आदर्श नगर, उन्नाव (उ.प्र.) पिन कोड 209801		
1.	**ऋणी:** श्री अमित कुमार पटेल पुत्र नंद कुमार **जमानतकर्ता:** श्रीमती राधिका देवी वर्मा पत्नी दूधनाथ वर्मा **एन.पी.ए. दिनांक: 28.06.2023** **मांग सूचना दिनांक: 25.11.2025** **राशि: रू. 25,04,632.44** + ब्याज एवं अन्य खर्चे (बाद में वसूली की गई राशि घटाकर) **कब्जा दिनांक: 20.02.2026/सांकेतिक**	भूमि व भवन का साम्यिक बंधक स्थित आवासीय परिसर, आराज़ी सं. 195 (भाग), म्युनिसिपल सं. 25/1055, मोहल्ला–बिंदा नगर, भादू फार्म, माझरा पीपर खेड़ा अहेत माली, परगना हरहा, तहसील एवं ज़िला उन्नाव, क्षेत्रफल–150 वर्ग गज (विक्रय विलेख संख्या 3254, दिनांक 24.06.1996 के अनुसार), **मालिक:** श्रीमती राधिका देवी वर्मा पत्नी श्री दूधनाथ वर्मा **बंधककर्ता:** श्रीमती राधिका देवी वर्मा पत्नी श्री दूधनाथ वर्मा, **क्षेत्रफल 150 वर्ग गज** **सम्पत्ति की चौहद्दी: पूर्व**– आराज़ी बुद्धा देवी, **पश्चिम**– 20 फीट चौड़ी सड़क, **उत्तर**– 15 फीट चौड़ी सड़क, **दक्षिण**– अन्य की आराज़ी	रू. 27.69 / रू. 2.77 / रू. 25,000/–
2.	**ऋणी:** श्री प्रबल प्रताप सिंह पुत्र श्री गजेंद्र सिंह **जमानतकर्ता:** श्रीमती श्यामा देवी पत्नी श्री गजेंद्र सिंह **एन.पी.ए. दिनांक: 28.08.2024** **मांग सूचना दिनांक: 30.08.2025** **राशि: रू. 6,32,140.80** + ब्याज एवं अन्य खर्चे (बाद में वसूली की गई राशि घटाकर) **कब्जा दिनांक: 06.12.2025/सांकेतिक**	भूमि एवं भवन, शेड एवं ढांचों के सभी भाग व खण्ड स्थित मकान सं. 399, आराज़ी सं. 3359 (भाग), आदर्श नगर, नगर पालिका, तहसील एवं ज़िला उन्नाव, **मालिक:** श्रीमती श्यामा देवी पत्नी श्री गजेंद्र सिंह, **क्षेत्रफल: 103.72 वर्ग मीटर** **सम्पत्ति की चौहद्दी: पूर्व**– ममता तिवारी का मकान, **पश्चिम:** सड़क, **उत्तर:** ओम प्रकाश अवस्थी का मकान, **दक्षिण:** राकेश त्रिवेदी का मकान	रू. 21.91 / रू. 2.19 / रू. 25,000/–

उपरोक्त सभी सम्पत्तियों हेतु धरोहर राशि जमा करने की अन्तिम तिथि 24.09.2026 शाम 04.00 बजे तक
उपरोक्त सभी सम्पत्तियों की ई–नीलामी दिनांक 25.09.2026 को समय प्रातः 11 बजे से शाम 5.00 बजे तक (5 मिनिट अन्तराल के असीमित विस्तार के साथ)

विक्रय की नियम एवं शर्तें:– 1. यह ई–नीलामी **"जहां है, जैसी है" एवं "जो कुछ भी है"** के आधार पर हो रही है। 2. प्राधिकृत अधिकारी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास तक नीलामी की जा रही सम्पत्ति भार मुक्त है फिर भी इच्छुक निविदाकर्ता को चाहिए की ई–नीलामी में भाग लेने से पूर्व स्वतन्त्र रूप से सभी भार, टाईटिल क्लेम संविधिक देयतायें (सीमा शुल्क एवं उत्पाद कर/आयकर एवं या अन्य कोई सरकारी एजेंसी) आदि की स्वयं जांच कर ले। सभी सम्पत्तियां सभी वर्तमान एवं भविष्य के ज्ञात अथवा अज्ञात भारों के साथ बेची जा रही है। प्राधिकृत अधिकारी किसी भी प्रकार के तृतीय / अन्य पक्षकार के क्लेम अधिकार एवं देनदारियों के प्रति उत्तदायी नहीं होगा। 3. यह निविदाकर्ताओं का उत्तदायित्व है कि ई–नीलामी में भाग लेने से पूर्व सम्पत्ति का निरीक्षण कर पूर्ण रूप से संतुष्ट हो लें। सम्पत्ति के निरीक्षण के लिये बैंक ऑफ इण्डिया की संबंधित शाखा से सम्पर्क कर सकते है। 4. इच्छुक निविदाकर्ता वेब पोर्टल **https://www.BAANKNET.com** पर रजिस्टर करके आपना यूजर आईडी एवं पासवर्ड निःशुल्क प्राप्त कर सकेंगे तथा इसी पोर्टल के माध्यम से ईएमडी जमा की जा सकती है। 5. वेब पोर्टल में पंजीकरण के पश्चात इच्छुक निविदाकर्ता निम्नलिखित दस्तावेजों को निविदा प्रस्तुत करने से पूर्व वेब पोर्टल में अपलोड कर ले। 1. पैन कार्ड की प्रति, 2. आईडी प्रूफ (केवाईसी) जैसे– स्वयं सत्यापित आधार कार्ड/वोटर आईडी कार्ड/ड्राईविंग लाईसेन्स / पासपोर्ट आदि। 6. ई–नीलामी प्रक्रिया में केवल वैध यूजर आईडी, पासवर्ड धारक निविदाकर्ता ही भाग ले सकेंगे। 7. केवल वही इच्छुक निविदाकर्ता जिन्होने ईएमडी भुगतान **दिनांक 24.09.2026** तक तय समय से कर दिया है, ही ई–नीलामी प्रक्रिया में भाग ले पायेंगे। 8. यदि सम्पत्ति का आरक्षित मूल्य रू 50 लाख तक है तो निविदाकर्ता निविदा की राशि रु. 25000/– के खण्ड में ही बढ़ा पायेंगे, इसी प्रकार यदि आरक्षित मूल्य रू. 50 लाख से अधिक है तो यह राशि रु. 50000/– होगी। 9. उच्चतम बोली लगाने वाले को प्राधिकृत्त अधिकारी की अनुमति से सफल बोलीकर्ता घोषित किया जायेगा। जिसकी जानकारी उसे इलेक्ट्रिक मोड द्वारा उनके ईमेल पते पर दी जायेगी। 10. प्राधिकृत अधिकारी उच्चतम बोली को भी स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं होगा तथा किसी भी बोली को स्वीकार / निरस्त करने का अधिकार प्राधिकृत अधिकारी को ही होगा। 11. सफल बोलीकर्ता की ईएमडी राशि **BAANKNET** वॉलेट में ही रहेगी तथा सभी असफल बोलीकर्ता की राशि **BAANKNET** से वापस ली जा सकेगी। ईएमडी राशि पर **BAANKNET** द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा। 12. सफल बोलीकर्ता को विक्रय मूल्य (अर्थात अधिकतम बोली राशि) का 25 प्रतिशत (ईएमडी राशि सम्मिलित करके) तुरन्त जमा करना होगा। शेष बकाया राशि उसे 15 दिन या उसके अन्दर जमा करना होगा। सफल बोलीकर्ता द्वारा भुगतान में असफल रहने की स्थिति में उसके द्वारा जमा राशि बिना किसी पूर्व सूचना के जब्त कर ली जायेगी। 13. निविदाकर्ता को यह सलह दी जाती है कि निविदा प्रस्तुत करने के पूर्व विस्तृत नियम एवं शर्तो की जानकारी **https://www.bankofindia.co.in, https://www.BAANKNET.com** से प्राप्त कर लें। 14. यदि विक्रय मूल्य 50 लाख रुपये या उससे अधिक है तो आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194–IA के अंतर्गत अधिकतम विक्रय मूल्य पर सफल बोलीदाता द्वारा टीडीएस कर देय होगा तथा सरकारी नियमों के अनुसार विक्रय मूल्य पर अतिरिक्त जीएसटी (जहां भी लागू हो) देय होगा। 15. इच्छुक निविदाकर्ता के पास बिड से संबंधित उचित संसाधन होने चाहिए, इस संबंध में कोई भी आपत्ति स्वीकार नहीं की जायेगी। 16. बोली आरक्षित मूल्य के ऊपर ही स्वीकार की जायेगी।

ऋणकर्ताओं/जमानतदारों/बंधककर्ता को 30 दिन की विक्रय सूचना

उपरोक्त वर्णित उधारकर्ता/जमानकर्ता/बंधककर्ता को धारा 13 (2) में वर्णित राशि नीलामी की तिथि के पूर्व भुगतान करने हेतु सूचना दी जाती है। राशि जमा करने में असफल रहने पर सम्पत्ति नीलाम कर दी जायेगी तथा शेष राशि मय ब्याज तथा लागत के साथ आपसे वसूल की जायेगी अथवा उधाकर्ता उपरोक्त दिनांक को बैंक द्वारा उनके खाते में देय राशि की वसूली हेतु आयोजित नीलामी में भी भाग ले सकते हैं।

दिनांक: 12.08.2026 | स्थानः कानपुर | प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ इंडिया

सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया Central Bank of India

"CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

क्षेत्रीय कार्यालय: 113/179, स्वरूप नगर, कानपुर–208002

परिशिष्ट–IV-A [नियम 8(6) का परंतुक देखें]

अचल संपत्ति की बिक्री हेतु बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई–नीलामी विक्रय नोटिस।

सामान्य रूप से आम लोगों को और विशेष रूप से उधारकर्ता(ओं) एवं जमानतकर्ता(ओं) को नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति/संपत्तियां **सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया** (प्रतिभूत लेनदार) के पास गिरवी/चार्ज की गई हैं, जिसको **सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया** (प्रतिभूत लेनदार) के अधिकृत अधिकारी द्वारा **सांकेतिक कब्ज़ा** ले लिया गया है। जिसे **"जैसा है जहां है", "जैसा है जो है", और "जो कुछ भी है"** के आधार पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, प्रतिभूति लेनदार के द्वारा निम्नलिखित उधारकर्ता(ओ) एव ज़मानतकर्ता(ओ) से बकाया की वसूली के लिए निम्नलिखित उधारकर्ताओं की संपत्ति को **दिनाँक 31.08.2026** को **प्रातः 11:00 बजे से शाम 4:00 बजे** के बीच बेचा जाएगा। संबंधित संपत्तियों का आरक्षित मूल्य एवं धरोहर राशि (ई.एम.डी.) नीचे दी गई है।

ईएमडी (ऑनलाइन) जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय 31.08.2026 प्रातः 11:00 बजे तक

क्र. सं.	ऋणी/गारन्टर/बंधककर्ता का नाम एवं शाखा	बंधक सम्पत्ति का विवरण	डिमांड नोटिस की तिथि एवं देय धनराशि / कब्जा नोटिस की तिथि	रिजर्व प्राइस / ईएमडी / बिड इन्क्रीज अमाउन्ट
1.	**ऋणी: (1). श्री शमशेर बहादुर पुत्र श्री मुकुरधुन राम** (मेसर्स सनशाइन इंडस्ट्रीज एवं मेसर्स आइडियल कैटल फीड एण्ड गोट ब्रिडिंग सेन्टर के प्रोपराइटर), पता: 116/659–बी, केशव नगर, रावतपुर, कानपुर, पिन–208019 **(2). मेसर्स सनशाइन इंडस्ट्रीज** (इसके प्रोपराइटर श्री शमशेर बहादुर पुत्र श्री मुकुरधुन राम), पता: 116/659–बी, केशव नगर, रावतपुर, कानपुर, पिन–208019 **(3). मेसर्स आइडियल कैटल फीड एण्ड गोट ब्रिडिंग सेन्टर** (इसके प्रोपराइटर श्री शमशेर बहादुर पुत्र श्री मुकुरधुन राम), पता: 116/659–बी, केशव नगर, रावतपुर, कानपुर, पिन– 208019 **शाखा: बिंदकी मो0 नं0– 8303714275, ईमेल आईडी: bmkanp4502@centralbank.bank.in**	संपत्ति के सभी भाग व खण्ड को मिलाकर संपत्ति स्थित मकान संख्या 116/659–बी, आराजी संख्या 659 के एक भाग पर निर्मित ग्राम–रावतपुर, केशव नगर, कानपुर, उत्तर प्रदेश, पिन–208019 **संपत्ति का क्षेत्रफल: 217.00 वर्ग गज** **संपत्ति के मालिक:** श्री शमशेर बहादुर पुत्र श्री मुकुरधुन राम **चौहद्दी: पूर्व:** शंभूनाथ व अन्य का प्लॉट, **पश्चिम:** लीला देवी एवं राम चंद्र गुप्ता का प्लॉट, **उत्तर:** आराजी संख्या 659 का जुज भाग, **दक्षिण:** 15 फीट रास्ता	16.10.2024 रू. 88,08,105.08 + ब्याज + अन्य खर्चे (यदि कोई वसूली हो तो उसे घटाकर) / **सांकेतिक कब्जा की तिथि** 08.01.2025	**रू. 88.50 लाख** / **रू. 8,85,000/–** / **रू. 25,000/–**
2.	**ऋणी: (1). मेसर्स बाबा टाइल्स (इसके प्रोपराइटर श्री आर्यन वर्मा पुत्र श्री सुधीर कुमार वर्मा),** पता– 126/35, गड़रियनपुरवा, फजलगंज, कानपुर नगर–208012 **(2). श्री आर्यन वर्मा पुत्र श्री सुधीर कुमार वर्मा (मेसर्स बाबा टाइल्स के प्रोपराइटर),** पता–117/एम/1091, फ्लैट संख्या 402, तृतीय तल, साई समृद्धि अपार्टमेंट, काकादेव, रावतपुर, कानपुर नगर–208019 **जमानतकर्ता: श्री सुधीर कुमार वर्मा पुत्र श्री हरि सिंह,** पता: 117/एम/1091, फ्लैट संख्या 402, तृतीय तल, साई समृद्धि अपार्टमेंट, काकादेव, रावतपुर, कानपुर नगर–208019 **शाखा–सुभाष बालिका विद्यालय मो0 नं0– 8303713738, ई–मेल आईडी: bmkanp3287@centralbank.bank.in**	संपत्ति के सभी भाग व खण्ड को मिलाकर संपत्ति स्थित तीसरी मंजिल पर फ्लैट संख्या 402, संपत्ति संख्या 117/एम/1091 (भाग) के भाग पर निर्मित, काकादेव, कानपुर नगर, आराजी प्लॉट संख्या 1091 का पश्चिमी भाग, ग्राम रावतपुर, कानपुर–208019 **संपत्ति का क्षेत्रफल: 77.38 वर्ग मीटर (आच्छादित क्षेत्र)** **संपत्ति के मालिक:** श्री सुधीर कुमार वर्मा पुत्र श्री हरि सिंह **फ्लैट की चौहद्दी: उत्तर:** खुला स्थान फिर 200 फीट चौड़ी सड़क, **दक्षिण:** सामान्य स्थान एवं सीढ़ियाँ फिर फ्लैट संख्या 403, **पूर्व:** फ्लैट संख्या 401, **पश्चिम:** नाली एवं मकान संख्या 117/एम/1091–ए **भवन की चौहद्दी: उत्तर:** 200 फीट चौड़ी सड़क, **दक्षिण:** मकान संख्या 117/एम/1090, **पूर्व:** मकान संख्या 117/एम/1091 का भाग, जिसका स्वामित्व परमजीत कौर एवं श्रीमती प्रतिपाल कौर, **पश्चिम:** मकान संख्या 117/एम/1091–ए	01.05.2025 रू. 1,02,32,906.33 + ब्याज + अन्य खर्चे (यदि कोई वसूली हो तो उसे घटाकर) / **सांकेतिक कब्जा की तिथि** 15.07.2025	**रू. 40.00 लाख** / **रू. 4,00,000/–** / **रू. 15,000/–**

ई–नीलामी की तिथि: 31.08.2026 प्रातः 11:00 बजे से शाम 4:00 बजे के बीच 10 मिनट के ऑटो एक्सटेंशन के साथ।

इच्छुक बोलीदाताओं को वेबसाइट https://www.ebkray.in पर पंजीकरण करना होगा और क्रेता पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करनी होगी। ईएमडी राशि एनईएफटी/आरटीजीएस/ट्रांसफर (https://www.ebkray.in से चालान उत्पन्न होने के बाद) के माध्यम से ग्लोबल ईएमडी वॉलेट में जमा की जाएगी। नीलामी सामान्य लैंडिंग प्लेटफॉर्म EBkray पोर्टल के माध्यम से आयोजित की जाएगी, ई–नीलामी **"जैसा है जहां है", "जैसा है जो है" और "जो कुछ भी है"** के आधार पर आयोजित किया जाएगा। सफल बोलीदाता को बोली राशि का 25% (कम ईएमडी राशि) को एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से खाता संख्या 3007652890, आईएफएससी–CBIN0281432 में प्राधिकृत अधिकारी के खाते के नाम पर उसी दिन या अगले कार्य दिवस से पहले जमा करना होगा। शेष 75% राशि का भुगतान बिक्री की पुष्टि के 15वें दिन या उससे पहले किया जाएगा। कृपया ध्यान दें कि निर्धारित अवधि के भीतर भुगतान में चूक होने पर बिक्री रद्द कर दी जाएगी तथा सफल बोलीदाता द्वारा जमा की गई कोई भी राशि जब्त कर ली जाएगी। संपत्ति पर कोई भार नहीं है, तथापि बोलीदाता इस संबंध में स्वतंत्र जांच कर सकते हैं। किसी भी परिस्थिति में (किसी प्रतिभूत संपत्ति के लिए एकमात्र बोली लगाने वाले के मामले सहित) प्रतिभूत संपत्ति आरक्षित मूल्य या उससे कम पर नहीं बेची जाएगी। न्यूनतम एक बोली वृद्धि राशि अनिवार्य है। (प्रक्रिया– खरीदार/बोलीदाता को अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके अपने eBKray पोर्टल में लॉगिन करना होगा)।

उपरोक्त संपत्ति पर ऋणभार का विवरण, जैसा कि बैंक को ज्ञात है– ज्ञात नहीं है

बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिए, कृपया सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट (प्रतिभूत लेनदार के रूप में) यानी https://www.centralbankofindia.bank.in., या नीलामी प्लेटफॉर्म यानी https://www.ebkray.in देखें। हेल्पलाइन नंबर +91 8291220220, किसी अन्य जानकारी के लिए, कृपया प्राधिकृत अधिकारी, मो0– 8303713702 से सम्पर्क करें।

सभी ऋणी/जमानतकर्ताओं की सूचित किया जाता है कि उपरलिखित समस्त देय, ब्याज एवं खर्चों सहित ई–नीलामी तिथि से पूर्व अदा कर दें अन्यथा उनकी सम्पत्तियां नीलाम कर दी जायेगी तथा यदि कोई देय शेष रह जाते हैं तो उनकी वसूली हेतु उचित कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

दिनांक: 14.08.2026 | स्थान: कानपुर | प्राधिकृत अधिकारी, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया